Imtiyaz Hussain Mir and Irshad Ahmad Dar, both residents of Sopore. The duo were arrested on charges of being overground workers of banned militant outfit Hizbul Mujahideen. PTI

T.O.I. 28/12/19

मुख्यालय "गौरा देवी पर्यावरण भवन"

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, Website : ueppcb.uk.gov.in

पत्रांक –यूईपीपीसीबी/एचओ/Gen-296/9530–1546

दिनांक : 27.12.2019

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु निम्न प्रस्तावकों के द्वारा लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण समघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावकों के द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:–

1. जिलाधिकारी, जनपद–बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय–देहरादून मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर, कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर, जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर एवं कार्यालय नगर पालिका, बागेश्वर में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति **www.ueppcb.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

पूर्व में निर्धारित लोक सुनवाई किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गयी थी, निम्न उल्लेखित परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित लोक सुनवाई की तिथि, समय व स्थान निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:–

इकाई का नाम	पूर्व में लोक सुनवाई की तिथि एवं समाचार पत्रों के नाम	वर्तमान में लोक सुनवाई की तिथि	लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल	समय
श्री शिवशक्ति एंड मिनरल्स, मण्डलसेरा, बागेश्वर, मै0 सोप स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, ग्राम–बिलाड़ी, तह. व जिला–बागेश्वर। (एरिया–4.996 हेक्टेअर में 20809 टन प्रतिवर्ष)	26.09.2019 दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान टाइम्स	30.01.2020	परियोजना स्थल	प्रातः 11 बजे से
श्री मनीष नन्द किशोर अग्रवाल, नयाल धपोला, बागेश्वर, मै0 सोप स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, ग्राम–नयाल, धपोला, बागेश्वर। (एरिया–10.841 हेक्टेअर में 30201 टन प्रतिवर्ष)	30.09.2019 अमर उजाला एवं टाइम्स आफ इंडिया	31.01.2020	परियोजना स्थल	प्रातः 11 बजे से

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि अपने अपने क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं के प्रस्ताव के सम्बंध में अपने मौखिक, लिखित सुझाव, टीका टिप्पणीयों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास, हल्द्वानी, में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित् कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव